

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

प्लूटस आई.ए.एस. साप्ताहिक करंट अफेयर्स

06/05/2024 से 12/05/2024 तक



The Indian **EXPRESS**



कार्यालय

बेसमेंट 8, अप्सरा आर्केड, करोल बाग मेट्रो स्टेशन गेट नंबर - 6,
नई दिल्ली 110005

706 प्रथम तल डॉ. मुखर्जी नगर बत्रा सिनेमा के पास
दिल्ली - 110009

मोबाइल नं. : +91 84484-40231

वेबसाइट : www.plutusias.com

ईमेल : info@plutusias.com



साप्ताहिक करंट अफेयर्स विषय सूची

1. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की वैश्विक टीकाकरण रिपोर्ट..... 1
2. भारत का फार्मा उद्योग और चिकित्सा निर्यातक के रूप में उभरता वर्तमान भारत..... 3
3. भारत के विमानन उद्योग क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियाँ और समाधान 6
4. भारत के स्कूलों में बच्चों के लिए शारीरिक दंड और दुर्व्यवहार से बचाव 9
5. भारत में एलपीजी के मूल्य में वृद्धि का सामाजिक - पारिस्थितिक प्रभाव 12
6. राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा बनाम भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि 15

करंट अफेयर्स मई 2024

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की वैश्विक टीकाकरण रिपोर्ट

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र - 2 के ' भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था, स्वास्थ्य, भारत की जनसांख्यिकी से संबंधित मुद्दे, वैश्विक टीकाकरण कार्यक्रम, भारतीय टीकाकरण कार्यक्रमों का महत्व ' खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप, टीकाकरण, टीकाकरण पर विस्तारित कार्यक्रम (EPI), सतत विकास लक्ष्य (SDG), राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार सर्वेक्षण, यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम (UIP), मिशन इंद्रधनुष, न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन (PCV) ' खंड से संबंधित है। इसमें योजना आईएस टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख 'दैनिक करंट अफेयर्स' के अंतर्गत ' विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की वैश्विक टीकाकरण रिपोर्ट ' से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?



- हाल ही में जारी विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की एक नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक टीकाकरण अभियानों ने बीते पांच दशकों में लगभग 154 मिलियन लोगों के जीवन को बचाने में मदद की है।
- यह रिपोर्ट विश्व टीकाकरण सप्ताह के दौरान, मई 2024 में आयोजित होने वाले टीकाकरण पर विस्तारित कार्यक्रम (EPI) की 50वीं वर्षगांठ से ठीक पहले प्रकाशित की गई है।
- वैश्विक टीकाकरण अभियानों के तहत प्राप्त इन उपलब्धियों के कारण, यह रिपोर्ट विश्वभर में चर्चा का विषय बनी हुई है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की वैश्विक टीकाकरण रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष :

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की वैश्विक टीकाकरण रिपोर्ट का मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित है -



- टीकाकरण का महत्व : भारत में टीकाकरण शिशुओं के स्वस्थ जीवन को सुनिश्चित करने में सबसे महत्वपूर्ण है, और इसका योगदान किसी भी अन्य स्वास्थ्य योजना से अधिक है।
- खसरा टीकाकरण : सन 1974 के बाद से अनुमानित 15 करोड़ 40 लाख लोगों को बचाया गया है, जिनमें से 9 करोड़ 40 लाख लोगों को खसरा का टीका लगाया गया था। हालांकि, वर्ष 2022 में लगभग 3 करोड़ 30 लाख बच्चे को खसरा का टीकाकरण नहीं लग पाया था।
- वर्तमान में खसरे के टीके की पहली खुराक की वैश्विक कवरेज %83 है, जबकि दूसरी खुराक की कवरेज केवल %74 ही है।
- टीकाकरण कवरेज : वैश्विक टीकाकरण अभियानों के तहत वैश्विक समुदायों को संक्रमण से बचाने के लिए खसरा के टीके की दो खुराक के माध्यम से %95 या उससे अधिक का कवरेज आवश्यक है।
- DPT वैक्सीन** : EPI के शुरू होने से पहले, केवल %5 शिशुओं को नियमित टीकाकरण मिलता था। आज, %84 शिशुओं को डिप्थीरिया, टेटनस और पर्टुसिस (DTP) से बचाने के लिए तीन खुराक के साथ टीकाकरण किया जाता है।
- शिशु मृत्यु - दर में कमी : विभिन्न बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण से शिशु मृत्यु - दर में %40 की कमी आई है।
- रोग का उन्मूलन और रोकथाम : सन 1988 के बाद से वाइल्ड पोलियोवायरस के मामलों में %99 से अधिक की कमी आई है, और

भारत को 2014 में WHO द्वारा पोलियो मुक्त घोषित किया गया था।

- संपूर्ण स्वास्थ्य में लाभ : टीकाकरण के द्वारा बचाए गए प्रत्येक जीवन के लिए औसतन 66 वर्षों तकसंपूर्ण स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त हुआ, और पिछले पाँच दशकों में कुल 10.2 बिलियन पूर्ण स्वास्थ्य वर्ष प्राप्त हुए।

वैश्विक टीकाकरण रिपोर्ट के अनुसार भारत में टीकाकरण की स्थिति क्या है?

वैश्विक टीकाकरण रिपोर्ट के अनुसार, भारत में टीकाकरण की स्थिति इस प्रकार है -

- भारत का यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम (UIP) विश्व के सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों में से एक है, जिसके अंतर्गत प्रतिवर्ष 30 मिलियन से अधिक गर्भवती महिलाओं और 27 मिलियन बच्चों को टीके दिए जाते हैं।
- भारत में एक बच्चे को तब पूर्णतः प्रतिरक्षित माना जाता है जब उसे जीवन के पहले वर्ष में सभी आवश्यक टीके लग जाते हैं।
- भारत को 2014 में पोलियो-मुक्त और 2015 में मातृ एवं शिशु टेटनस - मुक्त घोषित किया गया था।
- भारत में नए टीके जैसे रोटावायरस वैक्सीन (RVV), न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन (PCV), और खसरा-रूबेला वैक्सीन भी उपलब्ध कराए गए हैं।
- UNICEF के अनुसार, भारत में केवल %65 बच्चों का पहले वर्ष में पूर्ण टीकाकरण हो पाता है। WUENIC के अनुमानों के अनुसार, 2021 में 2.7 मिलियन शून्य-खुराक बच्चों की संख्या को 2022 में 1.1 मिलियन तक कम किया गया है, जिससे 1.6 मिलियन अतिरिक्त बच्चों को जीवनरक्षक टीकाकरण मिला है।
- शून्य - खुराक बच्चे वे होते हैं जो किसी भी प्रकार से नियमित टीकाकरण से वंचित रह जाते हैं। इनमें से %63 बच्चे बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, और उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं।
- मिशन इंद्रधनुष को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2014 में शुरू किया गया था। जिसका मुख्य उद्देश्य सभी गैर - टीकाकृत और आंशिक रूप से टीकाकृत बच्चों को टीके उपलब्ध कराना है।
- भारत में शून्य खुराक वाले बच्चों की संख्या को कम करने के लिए तीव्र मिशन इंद्रधनुष भी शुरू किया गया है।

भारत द्वारा टीकाकरण से संबंधित अन्य सहायक उपाय भी अपनाये गए हैं। जो निम्नलिखित हैं -

- इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलेजेंस नेटवर्क (eVIN)
- नेशनल कोल्ड चेन मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम (NCCMIS)

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की वैश्विक टीकाकरण रिपोर्ट के अनुसार टीकाकरण की मुख्य चुनौतियाँ :

स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच की कमी :

- 2022 में, दुनिया भर में 14.3 मिलियन बच्चों को DPT का पहला टीका नहीं मिला, जो कि स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुँच की समस्या को दर्शाता है।
- टीकाकरण से वंचित या अपूर्ण टीकाकरण वाले 20.5 मिलियन बच्चों में से लगभग %60 भारत समेत 10 देशों में रहते हैं।



संक्रामक रोगों से मृत्यु :

- भारत में संक्रामक रोग बाल मृत्यु और बीमारी के मामलों को बढ़ाता है। अतः इसके रोकथाम के लिए टीकाकरण आवश्यक है।
- भारत में प्रतिवर्ष लगभग एक मिलियन बच्चे पाँच वर्ष की आयु पूरी करने से पहले ही मर जाते हैं।
- स्तनपान, टीकाकरण, और उपचार जैसी सेवाओं तक बेहतर पहुँच से भारत में इस रोग से होने वाले इन मौतों को रोका जा सकता है।

भारत में टीकाकरण का पूर्ण कवरेज लक्ष्य :

- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS)5- के अनुसार, भारत में टीकाकरण का पूर्ण कवरेज %76.1 है, जिसका अर्थ है कि हर चार में से एक बच्चा आवश्यक टीकों से वंचित ही रहता है।

यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) :

- भारत में सन 1978 में शुरू हुए टीकाकरण के विस्तारित कार्यक्रम को 1985 में ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित करते हुए इसे सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (UIP) का नाम दिया गया।
- सन 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के शुरू होने के बाद से UIP इसका एक महत्वपूर्ण भाग बना हुआ है।
- सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत, 12 वैक्सीन - रोकथाम योग्य बीमारियों के खिलाफ मुफ्त टीकाकरण प्रदान किया जाता है।
- भारत में यह राष्ट्रीय स्तर पर 9 बीमारियों और उप - राष्ट्रीय स्तर पर 3 बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण किया जाता है।

टीकाकरण से संबंधित प्रमुख वैश्विक पहल क्या हैं?

वैश्विक स्तर पर टीकाकरण को बढ़ावा देने और रोगों के प्रसार को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें को आरंभ किया गया है। जो निम्नलिखित हैं -

- टीकाकरण एजेंडा 2030 : यह एक वैश्विक रणनीति है जिसका उद्देश्य टीकाकरण के माध्यम से जीवन की रक्षा करना, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और विश्व स्तर पर स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करना है।
- विश्व टीकाकरण सप्ताह : यह एक वार्षिक अभियान है जो टीकाकरण के महत्व को और दुनिया भर में टीकाकरण के प्रति जागरूकता को बढ़ाता है।
- टीकाकरण पर विस्तारित कार्यक्रम (EPI) : इसकी स्थापना 1974 में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा की गई थी। EPI का मूल लक्ष्य सभी बच्चों को डिप्थीरिया, खसरा, पर्तुसिस, पोलियो, टेटनस, तपेदिक और चेचक के खिलाफ टीकाकरण करना था। इसमें 13 बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण के लिए सार्वभौमिक सिफारिशें और अन्य 17 बीमारियों के लिए संदर्भ - विशिष्ट सिफारिशें शामिल हैं, जो बच्चों से लेकर किशोरों और वयस्कों तक टीकाकरण की पहुँच के विस्तार को बताता है।

वैश्विक टीकाकरण रिपोर्ट के अनुसार भारत में टीकाकरण के लिए समाधान / आगे की राह :



- विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक टीकाकरण रिपोर्ट के अनुसार, भारत में टीकाकरण के लिए डिजिटल समाधानों के माध्यम से एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है।
- डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि eVIN, U-WIN, और Co-WIN की मदद से, टीकाकरण की प्रक्रिया में अभूतपूर्व गति और कुशलता आई है।
- इन पहलों के जरिए, भारत ने न केवल टीकाकरण कवरेज के लक्ष्य को प्राप्त करने में वृद्धि की है, बल्कि शिशु मृत्यु दर में कमी लाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है।
- भारत में डिजिटलीकरण ने टीकाकरण के प्रबंधन और इसके द्वारा बचाए गए मनुष्य के जीवन की संख्या को प्रदर्शित करती है। जो भविष्य में भी टीकाकरण के महत्व को बनाए रखने की आवश्यकता को दर्शाता है।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों पहलों के माध्यम से, विश्व स्वास्थ्य संगठन और अन्य संबंधित संस्थाएँ टीकाकरण के महत्व को बढ़ावा देने और विश्व स्तर पर स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए काम कर रही हैं।

स्रोत - द हिन्दू एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पोषण मिशन (नेशनल न्यूट्रिशन मिशन) का मुख्य उद्देश्य है? (UPSC - 2017)

1. भारत में राष्ट्रीय स्तर पर गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं में कुपोषण से संबंधित जागरूकता को बढ़ाना।
2. मोटा अनाज, बाजरा तथा अपरिष्कृत चावल के उपभोग को बढ़ाना।
3. भारत में मुर्गी के अंडों के उपभोग को बढ़ाना।
4. भारत में छोटे बच्चों, किशोरियों तथा महिलाओं में रक्त अल्पता की घटना को कम करना।

नीचे दिये गए कूट से सही उत्तर चुनिए :

- A. केवल 1 और 4
- B. केवल 2, 1 और 3
- C. केवल 2, 1 और 4
- D. केवल 3 और 4

उत्तर - A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत जैसे विकासशील देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में टीकाकरण के महत्व को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि भारत में संपूर्ण जनसंख्या का सार्वभौमिक टीकाकरण सुनिश्चित करने में प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं एवं सरकार द्वारा सार्वभौमिक टीकाकरण के समाधान के लिए उठाए गए प्रमुख उपायों पर भी चर्चा कीजिए। (UPSC - 2021 शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

भारत का फार्मा उद्योग और चिकित्सा निर्यातक के रूप में उभरता वर्तमान भारत

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र - 2 के ' भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, स्वास्थ्य, भारत के फार्मास्यूटिकल उद्योग, अप्रभावी औषधि विनियमों के परिणाम ' खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940, फार्मास्यूटिकल गुणवत्ता प्रणाली, फार्मास्यूटिकल्स के लिये उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI), विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO-GMP) मानक ' खंड से संबंधित है। इसमें PLUTUS IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' भारत का फार्मा उद्योग और चिकित्सा निर्यातक के रूप में उभरता वर्तमान भारत ' से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

- भारतीय फार्मा उद्योग हाल ही में खबरों में है क्योंकि इसने वित्तीय वर्ष 23-2022 में पहली बार चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों और डिस्पोजेबल्स का शुद्ध निर्यातक बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है।

- हाल ही भारतीय फार्मा उद्योग से संबंधित प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में यह उस प्रवृत्ति के परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण संकेत है जहाँ पूर्व के वर्षों में इन उत्पादों का आयात भारत से होने वाले निर्यात से अधिक था।



भारत के फार्मा उद्योग की वर्तमान स्थिति :




भारत के फार्मास्यूटिकल उद्योग की वर्तमान स्थिति निम्नलिखित है -

- जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा वैश्विक निर्माता के रूप में भारत : भारत वैश्विक स्तर पर जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्माता है और इसका फार्मास्यूटिकल उद्योग वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल में सस्ती जेनेरिक दवाएँ उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों में भारत की आत्मनिर्भरता : भारत ने चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों और डिस्पोज़ेबल्स के लिए अपनी ऐतिहासिक आयात निर्भरता को परिवर्तित कर दिया है, जो इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बदलाव का संकेत देता है।
- निर्यात मूल्य : वर्तमान में एक प्रमुख फार्मास्यूटिकल निर्यातक के रूप में इसका मूल्य 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिसमें 200 से अधिक देशों में भारतीय फार्मा निर्यात होता है।
- फार्मास्यूटिकल निर्यातक के रूप में भारत की भविष्य की उम्मीदें: वर्ष 2024 तक इसके 65 बिलियन अमेरिकी डॉलर और वर्ष 2030 तक 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है।
- चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों में भारत के निर्यात और आयात के आँकड़े : निर्यात में भारत ने 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य की चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों और डिस्पोज़ेबल्स का निर्यात किया, जो

पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में %16 की वृद्धि है। जबकि वहीं भारत ने आयात में लगभग 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात किया। जो भारत की चिकित्सा उपभोग्य सामग्रियों और डिस्पोज़ेबल्स के क्षेत्र में आयात में %33 की गिरावट को दर्शाता है।

इसके अलावा इजरायल-हमास संघर्ष के कारण लाल सागर के मार्ग में बाधाओं के चलते भारतीय फार्मा उद्योग को लागत में वृद्धि और मुनाफे में कमी का सामना करना पड़ा है। इसके अतिरिक्त, गुणवत्ता नियंत्रण विफलताओं और दूषित दवाओं की घटनाओं ने भी उद्योग की चुनौतियों को बढ़ाया है। फिर भी, भारतीय फार्मा उद्योग विश्व की फार्मसी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत कर रहा है।

वर्तमान में भारतीय फार्मा उद्योग क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियाँ :



वर्तमान समय में भारतीय फार्मा उद्योग क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार हैं -

- जटिल नियामक ढाँचा : नई दवाओं के लिए अनुमोदन प्रक्रिया जटिल और समय लेने वाली है, जिससे लाल फीताशाही और विलंब होता है।
- सीमित नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र : शैक्षिक संस्थानों, अनुसंधान प्रयोगशालाओं, और दवा निर्माताओं के बीच सहयोग की कमी के कारण उच्च-गुणवत्ता वाले दवाओं और चिकित्सा उपकरणों का विकास धीमा है।
- विकसित देशों की तुलना में भारतीय फार्मा उद्योग का अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में पिछड़ना : भारतीय फार्मा उद्योग अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में विकसित देशों की तुलना में कम निवेश करता है, जिससे नवीन दवाओं का विकास प्रभावित होता है।
- भारत के फार्मा उद्योग में कुशल कार्यबल की कमी : भारत के फार्मा उद्योग में उच्च योग्यता प्राप्त वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की कमी के कारण फार्मा उद्योग में कार्यकुशलता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
- सरकार द्वारा मूल्य नियंत्रण और लाभ मार्जिन में कमी : भारत के फार्मा उद्योग से संबंधित कुछ दवाओं पर सरकार द्वारा मूल्य नियंत्रण लागू करने से इसके लाभ मार्जिन सीमित हो जाते हैं, जिससे नई दवाओं के अनुसंधान और विकास में निवेश करना कम लुभावना या अपर्याप्त बन जाता है।
- घटिया और नकली दवाओं का प्रसार : भारत में नकली और घटिया दवाओं का प्रसार एक गंभीर समस्या है, जिससे न केवल भारत में

बल्कि विश्व स्तर पर भी स्वास्थ्य संकट पैदा हो रहा है।

- फार्मास्युटिकल सामग्री के लिए भारत का आयात निर्भरता : भारत अभी भी चिकित्सा उपकरणों और सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है, जिससे आत्मनिर्भरता की दिशा में चुनौतियाँ बनी रहती हैं।
- अनिवार्य लाइसेंसिंग और बौद्धिक संपदा सुरक्षा से संबंधित चिंताएँ : भारत के फार्मा उद्योग में सरकार द्वारा अनिवार्य लाइसेंसिंग प्राप्त करना और इससे संबंधित अन्य नीतियों के कारण भारत का फार्मा उद्योग बौद्धिक संपदा सुरक्षा के प्रति कई प्रकार की अनिश्चितताओं से घिरी हुई है, जो भारत के फार्मा उद्योग से संबंधित निवेश को प्रभावित करती हैं।

इस तरह की तमाम चुनौतियाँ भारतीय फार्मा उद्योग के समक्ष विकास की राह में बाधाएँ उत्पन्न करती हैं, लेकिन साथ ही इन्हें दूर करने के लिए इस उद्योग से नवाचार और सुधार की भी संभावनाएँ प्रस्तुत करती हैं।

भारतीय फार्मास्युटिकल क्षेत्र की प्रमुख पहल :

वर्तमान में भारतीय फार्मास्युटिकल क्षेत्र के लिए आरंभ की गई निम्नलिखित पहलें उल्लेखनीय है -

- फार्मास्युटिकल्स के लिए उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना (PLI) : इस योजना का उद्देश्य फार्मास्युटिकल उत्पादन को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर करना है।
- बल्क ड्रग पार्क योजना : इस योजना के तहत भारत के फार्मा उद्योग में बड़े पैमाने पर बल्क ड्रग्स के उत्पादन के लिए समर्पित पार्कों की स्थापना की जाती है, जिससे भारत के फार्मा उद्योग के लागतों में कमी और उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित हो सके।
- फार्मास्युटिकल्स उद्योग योजना को सुदृढ़ बनाना : भारत के फार्मा उद्योग में इस पहल के अंतर्गत इस उद्योग की मजबूती और विकास के लिए विभिन्न उपाय किए जाते हैं।
- भारत में फार्मा-मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास और नवाचार पर राष्ट्रीय नीति : भारत के फार्मा उद्योग में इस नीति का लक्ष्य फार्मा-मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहित करना है।
- फार्मा-मेडटेक क्षेत्र में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की योजना (PRIIP) : इस योजना के तहत भारत के फार्मा उद्योग में अनुसंधान और नवाचार के लिए विशेष प्रोत्साहन और सहायता प्रदान की जाती है।
- फार्मास्युटिकल प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (PTUAS) : भारत के फार्मा उद्योग में इस योजना के तहत फार्मास्युटिकल उद्योगों के लिए नवीनतम तकनीकी उन्नयन में सहायता प्रदान की जाती है।
- गुड मैनुफैक्चरिंग प्रैक्टिस (GMP) : यह उच्चतम गुणवत्ता के मानकों को सुनिश्चित करने के लिए फार्मास्युटिकल उत्पादन में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का एक समूह है।

इन पहलों का उद्देश्य भारतीय फार्मास्युटिकल क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना और आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर करना है।

निष्कर्ष / समाधान की राह :



भारतीय फार्मा उद्योग में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं -

- भारत के फार्मा उद्योग में विधायी परिवर्तन और केंद्रीकृत डेटाबेस की स्थापना करना : भारत के फार्मा उद्योग से संबंधित औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम (1940) में संशोधन करके और एक केंद्रीकृत औषधि डेटाबेस की स्थापना करके, निगरानी और विनियमन को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इससे सभी दवा निर्माताओं के बीच समानता और पारदर्शिता आएगी।
- भारत के फार्मा उद्योग के प्रमाणीकरण को प्रोत्साहित करना : इसके तहत भारत के फार्मा उद्योग में फार्मास्युटिकल विनिर्माण इकाइयों को WHO के गुड मैनुफैक्चरिंग प्रैक्टिस प्रमाणन के लिए प्रोत्साहित करने से उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार होगा।
- भारत के फार्मा उद्योग में पारदर्शिता, विश्वसनीयता एवं उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना : भारत के फार्मा उद्योग से संबंधित नियामक संस्थाओं और फार्मास्युटिकल उद्योग को मिलकर भारतीय दवा नियामक व्यवस्था को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने के लिए काम करना चाहिए।
- भारतीय फार्मा उद्योग सतत् विनिर्माण प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करें : भारत में हरित रसायनों को, अपशिष्ट पदार्थों में कटौती और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने से न केवल भारत के फार्मा उद्योग के लागत में कमी आएगी बल्कि भारत पर्यावरणीय स्थिरता भी सुनिश्चित होगी।
- भारतीय फार्मा उद्योग को जेनेरिक दवाओं से आगे बढ़ना चाहिए : भारतीय फार्मा उद्योग को अब जेनेरिक दवाओं के उत्पादन के साथ - ही - साथ नई दवाओं के विकास के लिए भी प्रयास करना चाहिए। जिसके तहत PLI योजना और अन्य सरकारी पहलों के माध्यम से अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है।
- भारतीय फार्मा उद्योग में अनुसंधान एवं विकास और नवाचार को बढ़ावा देना होगा : वर्तमान समय में भारतीय फार्मा उद्योग में अनुसंधान और विकास पर अधिक निवेश करके और सार्वजनिक - निजी भागीदारी को बढ़ावा देकर भारतीय फार्मा सेक्टर को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सकता है। कर प्रोत्साहन और अन्य नीतिगत सहायता से इस उद्योग या इस क्षेत्र में नए - नए नवाचारों को गति मिलेगी। जिससे भारतीय फार्मा सेक्टर को और अधिक सक्षम

और विकसित किया जा सकता है।

स्रोत - इकोनॉमिक टाइम्स एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में सूक्ष्म जैविक रोगजनकों में बहु-औषधी प्रतिरोध होने के प्रमुख कारणों पर विचार कीजिए ? (UPSC - 2021)

1. भारत में कुछ बीमारियों के उपचार के लिए एंटीबायोटिक दवाओं की अत्यधिक मात्र में या गलत तरीके से खुराक लेना।
2. भारत के कुछ लोगों में पाए जाने वाली आनुवंशिक प्रवृत्ति का होना।
3. भारत में कुछ लोगों में कई पुरानी और असाध्य बिमारियों का होना।
4. भारत में पशुपालन के क्षेत्र में एंटीबायोटिक का प्रयोग करना।

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव कीजिए।

- A. केवल 1 और 3
- B. केवल 3, 2 और 4
- C. केवल 3, 1 और 4
- D. केवल 1 और 4

उत्तर - D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत के फार्मा उद्योग का वैश्विक स्तर पर चिकित्सा सामग्रियों के निर्यातक बनने के प्रमुख कारणों एवं उससे संबंधित चुनौतियों की चर्चा करते हुए इसके समाधान के बारे में भी तर्कसंगत चर्चा कीजिए। इसके साथ ही यह चर्चा कीजिए कि भारत सरकार दवा के पारंपरिक ज्ञान को दवा कंपनियों द्वारा पेटेंट कराने से कैसे बचा रही है? (UPSC - 2019) (शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

भारत के विमानन उद्योग क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियाँ और समाधान

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र - 2 के ' भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप ' और सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र - 3 के अंतर्गत ' भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, भारत के विमानन क्षेत्र का परिवर्तन, आधुनिक संरचना, निवेश मॉडल ' खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' क्षेत्रीय संपर्क योजना-उड़ान (UDAN), ओपन स्काई समझौता, वस्तु एवं सेवा कर (GST), कार्बन तटस्थता, डिजी यात्रा ' खंड से संबंधित है। इसमें PLUTUS IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' भारत के विमानन उद्योग क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियाँ और समाधान ' से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?


- हाल ही में नागरिकउडयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय विमानन क्षेत्र वर्तमान में चर्चा में है क्योंकि यह विश्व स्तर पर सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजारों में से एक है। इंडिगो जैसी कंपनियाँ अब बिना रुके, लंबी दूरी और कम

लागत वाली उड़ानों के साथ विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाने का प्रयास कर रही हैं।

- भारतीय विमानन उद्योग क्षेत्र के इस मॉडल में छोटी दूरी के घरेलू और क्षेत्रीय मार्गों पर सफल रहे कम लागत वाले वाहक विमानों (LCC) के परिचालन का विस्तार भी शामिल है, जिसमें न्यूनतम किराए पर नॉन-स्टॉप, लंबी अवधि की उड़ानें भी शामिल हैं।
- इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का लक्ष्य सन 2030 तक शीर्ष वैश्विक विमानन बाजार बनना है, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी पहलें और नीतियाँ लागू की जा रही हैं।
- भारत सरकार द्वारा लागू की जा रही इन नीतियों का मुख्य लक्ष्य लंबी दूरी की यात्रा के संचालन के लिए समान व्यावसायिक रणनीतियों और प्रक्रियाओं को लागू करके छोटी दूरी के विमान यात्रा संचालन क्षेत्र में LCC द्वारा प्राप्त की गई सफलता को दोहराना है।
- भारतीय विमानन उद्योग क्षेत्र के इस मॉडल में हालांकि, उच्च परिचालन लागत, बुनियादी ढांचे की कमी, और नियामक ढांचे जैसी चुनौतियाँ भी हैं, जिनका सामना भारतीय विमानन उद्योग क्षेत्र को करना पड़ रहा है। इसके बावजूद, भारतीय विमानन उद्योग के लिए वर्तमान समय एक सकारात्मक दृष्टिकोण का बना हुआ है।




भारतीय विमानन उद्योग की प्रमुख संभावनाएं :



- बाजार का विकास : IATA के अनुसार, 2030 तक भारत का विमानन बाजार अमेरिका और चीन के बाजारों को पछाड़ सकता है, जिससे यह एयरलाइंस और सहायक उद्योगों के लिए एक प्रमुख बाजार के रूप में विकसित होगा।

- आर्थिक समानता और समरसता में वृद्धि : भारत का विमानन क्षेत्र यात्री और मालवाहक विमान सेवाओं के माध्यम से दूरदराज के क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ती है, जैसे कि यह उत्तर-पूर्वी भारत में बढ़ती हुई एयरलाइन कनेक्टिविटी के माध्यम से भारत के अन्य राज्यों को आपस में जोड़ती है।
- पर्यटन क्षेत्र का विकास : विमानन उद्योग पर्यटन को बढ़ावा देता है, जिससे स्थानीय बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, रेल, होटल, और बाजारों का विकास होता है और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं।
- विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देना : विमानन क्षेत्र का विस्तार एमआरओ सुविधाओं और घरेलू एयरोस्पेस विनिर्माण के लिए अवसर प्रदान करता है, जिससे रोजगार में वृद्धि होती है।
- एफडीआई का विस्तार होना : विमानन क्षेत्र की तेजी से वृद्धि ने हवाई अड्डों और एयरोस्पेस बुनियादी ढांचे में लगभग 3 बिलियन डॉलर के एफडीआई को भारत में निवेश करने के लिए आकर्षित किया है, जैसे कि नवी मुंबई और नोएडा (जेवर) हवाई अड्डों का विकास होना।
- रोजगार सृजन में सहायक : भारतीय विमानन क्षेत्र की वृद्धि से पायलटों, केबिन कू, और रखरखाव कर्मियों की मांग में वृद्धि हुई है, जिससे वित्तीय वर्ष 2030 तक 10,900 अतिरिक्त पायलटों की आवश्यकता होने की संभावना है।

भारतीय विमानन उद्योग के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं ?



भारतीय विमानन उद्योग की प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार हैं-

- उच्च ईंधन लागत : विमानन टर्बाइन ईंधन (ATF) की लागत एयरलाइनों की परिचालन लागत का एक बड़ा हिस्सा है, जिसे आयात शुल्क और इसपर लगाने वाले कर इसके ईंधन लागत को और अधिक बढ़ा देते हैं।
- डॉलर पर निर्भरता : विमान अधिग्रहण, रखरखाव, और ईंधन खरीद जैसे महत्वपूर्ण खर्चे अक्सर डॉलर में होते हैं, जिससे मुद्रा दरों में उतार-चढ़ाव का प्रभाव पड़ता है। डॉलर की दरों में उतार-चढ़ाव से लाभ पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि विमान अधिग्रहण और रखरखाव जैसे महत्वपूर्ण खर्चे डॉलर में होते हैं।
- आक्रामक मूल्य निर्धारण : एयरलाइंस अक्सर यात्रियों को आकर्षित करने के लिए आक्रामक मूल्य प्रतिस्पर्धा में लिप्त होती हैं, जिससे उच्च परिचालन लागत के बावजूद इनके लाभ में मार्जिन का हिस्सा

कम हो जाता है।

- सीमित प्रतिस्पर्धा : इंडिगो और एयर इंडिया जैसी प्रमुख एयरलाइंस के पास विमानन बाजार के क्षेत्र में बड़ी हिस्सेदारी है, जिससे टिकट के कीमतों के प्रति प्रतिस्पर्धा सीमित हो जाती है और उपभोक्ताओं को अधिक किराये का भुगतान करना पड़ सकता है।
- निम्नस्तरीय बेड़ा : भारतीय विमानन उद्योग को सुरक्षा समस्याओं और वित्तीय मुद्दों के कारण भारतीय वाहकों के बेड़े का एक बड़ा हिस्सा खड़ा है, जो इसकी आर्थिक क्षमता में बाधा डालता है।
- कार्बन उत्सर्जन को कम करना और पर्यावरणीय चिंता : कार्बन उत्सर्जन को कम करने और सतत प्रथाओं को अपनाने का दबाव विकास रणनीतियों में चुनौतियाँ पैदा करता है।
- लंबी दूरी के मार्गों पर बड़े विमानों का संचालन : इसमें उच्च ईंधन लागत शामिल है, जो विमानन कंपनियों के लिए एक बड़ी आर्थिक चुनौती प्रस्तुत करती है।
- बड़े विमानों की परिचालन लागत : अधिक चालक दल, रखरखाव, और हवाईअड्डा शुल्क जैसे खर्चों में वृद्धि से लागत बढ़ती है।
- विमान संचालन के विस्तार की कठिनाइयाँ : तीव्र आवागमन और विमान उपयोग के उच्च स्तर को बनाए रखना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन यह LCC (Low-Cost Carrier) बिजनेस मॉडल की सफलता के लिए अनिवार्य है।
- लंबी दूरी की यात्राओं में यात्री सुविधा प्रदान करना : भारतीय विमानन उद्योग को लंबी दूरी की यात्राओं में यात्रियों के आराम और सुविधाओं की आवश्यकताओं को LCC की तरह लागत कम करते हुए संतुलित करने की आवश्यकता है।
- व्यवहारिक नेटवर्क और उड़ान समय - सारणी का निर्माण करना : भारतीय विमानन उद्योग के लिए यह लंबी दूरी और कम यातायात घनत्व वाले मार्गों पर यात्रियों की संख्या और आर्थिक लाभप्रदता को सुनिश्चित करता है।
- पूर्वस्थापित ब्रांडों से प्रतिस्पर्धा करना : भारतीय विमानन क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर मजबूत ब्रांड पहचान वाले या पूर्वस्थापित ब्रांडों से विमानन सेवा वाहकों से प्रतिस्पर्धा करना पड़ता है।

इन चुनौतियों के अलावा, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, वित्तीय घाटे, और खराब ग्रामीण कनेक्टिविटी, जो उद्योग के स्थायी विकास के लिए चुनौतियाँ पैदा करते हैं। इन सभी कारकों का समाधान खोजना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

भारतीय विमानन क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियों से निपटने के लिए प्रमुख रणनीतियाँ :

भारतीय विमानन उद्योग की प्रमुख चुनौतियों का सामना करने के लिए निम्नलिखित रणनीतियाँ अपनाई जा सकती हैं -

- प्रीमियम/बिजनेस क्लास सुविधाओं के साथ उपहार देना : यात्रियों को आकर्षित करने के लिए उच्च श्रेणी की सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करना, जैसे कि अतिरिक्त लेगरूम, प्राथमिकता चेक-इन, और बेहतर भोजन विकल्प प्रदान करना हो सकता है।

- कम यातायात वाले मार्गों को लक्षित करना : भारतीय विमानन क्षेत्र को कम यातायात वाले उन मार्गों पर भी सेवाएं प्रदान करना चाहिए जहाँ प्रतिस्पर्धा कम है और जहाँ विकास की संभावना है, इससे नए बाजारों का विकास हो सकता है।
- मजबूत घरेलू/क्षेत्रीय नेटवर्क का लाभ उठाना : भारतीय विमानन क्षेत्र घरेलू और क्षेत्रीय मार्गों पर अधिक सेवाएं प्रदान करके एक मजबूत नेटवर्क बनाना, जिससे यात्रियों को अधिक विकल्प और सुविधा मिल सके।

इन रणनीतियों के अलावा, विमानन उद्योग को नवीनतम तकनीकों को अपनाने, ईंधन दक्षता में सुधार करने, और ग्राहक सेवा में निवेश करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही, सरकारी नीतियों और विनियमों को भी उद्योग के अनुकूल बनाने की जरूरत है, ताकि विमानन क्षेत्र स्थायी विकास की ओर बढ़ सके।

भारत सरकार द्वारा विमानन उद्योग से संबंधित आरंभ की गई महत्वपूर्ण पहल :

- उड़ान योजना (उड़े देश का आम नागरिक)
- राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन नीति, 2016
- घरेलू रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (MRO) सेवाओं के लिये वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दर %18 से घटाकर %5 कर दी गई।
- ओपन स्काई संधि।
- निर्बाध यात्रा के लिये डिजी यात्रा: यह डिजिटल प्लेटफॉर्म चेहरे की पहचान और कागज रहित चेक-इन जैसी सुविधाओं के साथ हवाई यात्रियों के लिये संपर्क रहित अनुभव की सुविधा प्रदान करता है।

समाधान / आगे की राह :



भारतीय विमानन उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों के समाधान लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं -

- ईंधन स्रोतों का विविधीकरण : जैव ईंधन को ईंधन मिश्रण में शामिल करने और पारंपरिक एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर निर्भरता कम करने के लिए पहल की जानी चाहिए। इससे आयात करों के प्रभाव को भी कम किया जा सकता है।
- ईंधन हेजिंग रणनीतियाँ : ईंधन की कीमतों की अस्थिरता को प्रबंधित करने के लिए ईंधन हेजिंग रणनीतियों को अपनाना चाहिए, जो कि

विश्व स्तर पर कई एयरलाइनों द्वारा प्रयोग की जाती हैं।

- सहायक राजस्व धाराएँ : कार्गो सेवाओं, इन-फ्लाइट बिक्री, और प्रीमियम सेवाओं जैसी सहायक राजस्व धाराओं का विकास करके लाभ को बढ़ाना चाहिए।
- प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण रणनीतियाँ : मूल्य निर्धारण को अनुकूलित करने और हानिकारक मूल्य युद्धों से बचने के लिए उन्नत उपज प्रबंधन प्रणालियों का उपयोग करना चाहिए।
- ग्राहकों के प्रति वफादारी कार्यक्रम : भारतीय विमानन क्षेत्र को ग्राहक वफादारी कार्यक्रमों को मजबूत करके दोबारा व्यापार को प्रोत्साहित करना चाहिए और इस क्षेत्र की आक्रामक मूल्य निर्धारण रणनीति की आवश्यकता को कम करना चाहिए।
- विनियामक सुधार : नए प्रवेशकों को प्रोत्साहित करने और उद्योग में एकाधिकारवादी प्रथाओं को नियंत्रित करने के लिए विनियामक सुधारों की वकालत करनी चाहिए।
- मार्ग युक्तिकरण : एयरलाइनों को कम सेवा वाले मार्गों की पहचान करने और उन्हें सेवा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिलेंगे।
- विमान पट्टियों के विकल्पों पर विचार करना : परिचालन लचीलेपन को बनाए रखने और बेड़े के मालिक होने से जुड़े वित्तीय बोझ को कम करने के लिए विमान पट्टियों के विकल्पों पर विचार करना चाहिए।
- कार्बन ऑफसेट कार्यक्रमों को लागू करना : विमानन कंपनियों को पर्यावरणीय प्रभाव को मापने और कम करने के लिए कार्बन उत्सर्जन कैलकुलेटर (ICAO) जैसे कार्यक्रमों को लागू करना चाहिए।
- नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) में सुधार करना : डीजीसीए को आधुनिक बनाने, अच्छे कर्मचारी उपलब्ध कराने और प्रोत्साहन देने के लिए सुधार करने चाहिए। डीजीसीए का नेतृत्व नौकरशाहों के बजाय विमानन पेशेवरों को करना चाहिए।
- 'स्टार्ट - अप इंडिया' पहल को बढ़ावा देना : विमानन उद्योग की रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) सुविधाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देना चाहिए।
- करों को युक्तिकरण करने की आवश्यकता : भारत में विमानन कंपनियों को विमानन ईंधन, एयर कार्गो और हवाई अड्डे के संचालन में करों का युक्तिकरण करने की आवश्यकता है।
- भारत के विमान अधिनियम, 1934 और विमान नियम, 1937 में संशोधन - एयरोस्पेस में आधुनिक तकनीक, उद्योग के विकास और यात्री यातायात के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए इन अधिनियमों को अद्यतन किया जाना चाहिए।
- इन चुनौतियों का समाधान करके और सुझाए गए सुधारों को लागू करके, भारत एक संपन्न विमान उद्योग के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकता है, देश को एक वैश्विक विमानन केंद्र बना सकता है और विमानन क्षेत्र को बढ़ावा दे सकता है।

स्रोत - इंडियन एक्सप्रेस एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारतीय विमानन उद्योग क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. भारतीय विमानन उद्योग क्षेत्र मुद्रा दरों में उतार-चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता है, क्योंकि इसके ईंधन पर किए जाने वाला खर्च डॉलर पर आधारित होता है।
2. ईंधन की कीमतों की अस्थिरता के लिए ईंधन हेजिंग तकनीक अपनाना लाभप्रद है।
3. भारतीय विमानन उद्योग क्षेत्र के लिए वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दर %18 से घटाकर %5 कर दी गई है।
4. भारत में भारतीय विमानन उद्योग के सतत विकास के लिए डीजीसीए का नेतृत्व विमानन पेशेवरों को करना चाहिए।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

- A. केवल 2, 1 और 3
- B. केवल 2 और 4
- C. केवल 1 और 3
- D. केवल 3, 2 और 4

उत्तर - D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1 सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत संयुक्त उद्यमों के माध्यम से भारत में हवाई अड्डों के विकास में भारत के नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के अधिकारियों के सामने क्या चुनौतियाँ हैं? तर्कसंगत चर्चा कीजिए। (UPSC CSE - 2017)

Q.2. भारत के विमानन क्षेत्र की प्रगति के संबंध में बुनियादी ढाँचे के विकास, यात्री वृद्धि और सरकारी नीतियों के प्रभाव जैसे कारकों और अन्य चुनौतियों और उसके समाधान पर तर्कसंगत चर्चा कीजिए। (शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

भारत के स्कूलों में बच्चों के लिए शारीरिक दंड और दुर्व्यवहार से बचाव

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 - ' भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था, शिक्षा, बच्चों से संबंधित मुद्दे, सामाजिक सशक्तिकरण, शारीरिक दंड का मुद्दा, शारीरिक दंड के संबंध में संवैधानिक और कानूनी प्रावधान ' खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ' खंड से संबंधित है। इसमें PLUTUS IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' भारत के स्कूलों में बच्चों के लिए शारीरिक दंड और दुर्व्यवहार से बचाव ' से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?



- हाल ही में तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य के स्कूलों में बच्चों शारीरिक दंड के उन्मूलन के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जो छात्रों के शारीरिक एवं मानसिक हितों की रक्षा करने और उनके किसी भी प्रकार के उत्पीड़न को रोकने पर केंद्रित हैं।
- तमिलनाडु स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी इस दिशा-निर्देश को भारत के स्कूली शिक्षा प्रणाली में एक सकारात्मक और समर्थक वातावरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। क्योंकि भारत में बच्चों के लिए शारीरिक दंड और दुर्व्यवहार से बचाव की चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालती है।


भारत में स्कूलों में बच्चों के लिए शारीरिक दंड और दुर्व्यवहार से बचाव के लिए निर्धारित दिशा - निर्देशों के प्रमुख प्रावधान :

भारत में बच्चों के लिए शारीरिक दंड और दुर्व्यवहार से बचाव के लिए निर्धारित दिशा - निर्देशों के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है -

- उद्देश्य : ये दिशा-निर्देश शारीरिक दंड, मानसिक उत्पीड़न, और भेदभाव को समाप्त करने और छात्रों के लिए एक सुरक्षित और विकासात्मक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं।
- मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा : इनमें छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करने और सभी हितधारकों को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के दिशा - निर्देशों के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन करना शामिल है।
- निगरानी समितियां : प्रत्येक स्कूल में स्कूल प्राचार्यों, अभिभावकों, शिक्षकों, और वरिष्ठ छात्रों को शामिल करते हुए निगरानी समितियों की स्थापना पर जोर दिया गया है, जो शारीरिक दंड और दुर्व्यवहार से बचाव के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी और मुद्दों का समाधान करेंगी।
- सकारात्मक कार्रवाइयां : भारत में बच्चों के प्रति शारीरिक दंड के विरुद्ध सकारात्मक कार्रवाइयों का एक दिशा - निर्देश जारी किया गया है, जिसमें बहु-विषयक हस्तक्षेप, जीवन कौशल शिक्षा, और बच्चों की शिकायतों के लिए एक प्रणाली शामिल है।

शारीरिक दंड की परिभाषा :

- शारीरिक दंड की परिभाषा : राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के अनुसार, शारीरिक दंड वह क्रियाएँ हैं जो बच्चों को दर्द, चोट या हानि पहुँचाती हैं।
- संयुक्त राष्ट्र की बाल अधिकारों पर समिति के अनुसार : शारीरिक दंड को “किसी भी प्रकार का दंड जिसमें शारीरिक बल का उपयोग होता है और जिसका उद्देश्य बच्चों को कुछ हद तक दर्द या परेशानी पहुँचाना होता है” के रूप में परिभाषित किया है।
- प्रचलन : विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, शारीरिक दंड वैश्विक स्तर पर घरों और स्कूलों दोनों में अत्यधिक प्रचलित है।
- आंकड़े : विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2 से 14 वर्ष की आयु के लगभग %60 बच्चे नियमित रूप से अपने माता-पिता या अन्य देखभाल करने वालों द्वारा शारीरिक रूप से दंडित किए जाते हैं।



शारीरिक दंड के उदाहरण :

- बच्चों को बेंच पर खड़ा करना।
- दीवार के सामने कुर्सी जैसी मुद्रा में खड़ा करना।
- सिर पर स्कूल बैग लेकर बैठना।
- पैरों में हाथ डालकर कान पकड़ना।
- घुटनों के बल बैठना।
- जबरन पदार्थ खिलाना।
- बच्चों को स्कूल परिसर के भीतर बंद स्थानों तक सीमित रखना।

मानसिक उत्पीड़न के उदाहरण :

- बच्चे के लिए व्यंग्य, अपशब्दों और अपमानजनक भाषा का उपयोग करना।
- बच्चे का उपहास करना या करवाना।
- बच्चे का अपमान करना या उसे लज्जित करना।
- बच्चे के भावनात्मक रूप से कष्ट पहुँचाना और उसके लिए समस्याग्रस्त वातावरण निर्मित करना।

शारीरिक दंड का औचित्य :

- अमेरिका के 22 राज्यों में स्कूलों में शारीरिक दंड की विधिक अनुमति है।
- भारत में भारतीय दण्ड संहिता (IPC), 1860 की धारा 88 और 89 शारीरिक दंड के लिए कुछ प्रावधान निर्धारित करती हैं।


किशोर न्याय अधिनियम 2015 :

- “बच्चे का सर्वोत्तम हित” धारा 9(2) में बच्चे की पहचान, शारीरिक, भावनात्मक, और बौद्धिक विकास को ध्यान में रखने की बात कही गई है।

बच्चों के विरुद्ध शारीरिक दंड का प्रभाव :

- मानसिक स्वास्थ्य : बढ़ी हुई चिंता और अवसाद, आत्मसम्मान में कमी, आक्रामकता और हिंसा, संबंधों में कठिनाई।
- शारीरिक स्वास्थ्य : शारीरिक चोट, मादक द्रव्यों का सेवन।

वर्तमान समय में भारत में बच्चों के प्रति शारीरिक दंड के संबंध में संवैधानिक और कानूनी प्रावधान क्या हैं ?



भारत में बच्चों के प्रति शारीरिक दंड के विरुद्ध संवैधानिक और कानूनी प्रावधान इस प्रकार हैं -

वैधानिक प्रावधान :

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE), 2009 : भारतीय संविधान की धारा 17 में बच्चों के प्रति शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न पर पूर्ण प्रतिबंध है, और इसे दंडनीय अपराध माना गया है।
- किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 : भारतीय संविधान की धारा 23 के अनुसार, नाबालिग के प्रति दुर्व्यवहार करने वाले वयस्क को जेल और जुर्माना दोनों ही हो सकता है।

कानूनी प्रावधान :

- भारतीय दण्ड संहिता (IPC) 1860 :
 - धारा 305: बच्चे को आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित

है।

- धारा 323: स्वेच्छा से चोट पहुँचाने से संबंधित है।
- धारा 325: स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुँचाने से संबंधित है।

भारत में बच्चों के प्रति शारीरिक दंड से संबंधित न्यायिक मामले :

- अंबिका एस नागल बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, 2020 : इस मामले में हिमाचल प्रदेश राज्य के उच्च न्यायालय ने यह माना कि माता-पिता ने अपने बच्चे को स्कूल में सज़ा और अनुशासन के अधीन होने की निहित सहमति दी है।
- राजन बनाम पुलिस के उप-निरीक्षक, 2014 : केरल उच्च न्यायालय ने यह कहते हुए कि शिक्षक के पास दंड देने का अधिकार है, के तहत बच्चों को शारीरिक दंड देने को बरकरार रखा।

संवैधानिक प्रावधान :

- अनुच्छेद 21A : इसके अनुसार 14-6 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है।
- अनुच्छेद 24 : भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिमपूर्ण कार्यों में लगाने पर प्रतिबंध है।
- अनुच्छेद 39(e) : भारतीय संविधान के इस अनुच्छेद के अनुसार यह राज्य का कर्तव्य है कि किसी भी प्रकार की आर्थिक असमानता के कारण बच्चों के साथ दुर्व्यवहार न हो।
- अनुच्छेद 45 : इस अनुच्छेद के तहत 6-0 वर्ष के बच्चों की देखभाल करना राज्य का कर्तव्य है।
- अनुच्छेद 51A(k) : भारत में संविधान के इस अनुच्छेद के तहत माता-पिता का यह मौलिक कर्तव्य है कि उनके बच्चे को 6 से 14 वर्ष की आयु के लिए शिक्षा प्राप्ति को सुनिश्चित किया जाए।

भारत में बच्चों के प्रति शारीरिक दंड से संबंधित सांविधिक निकाय :

- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) : बच्चों के खिलाफ शारीरिक दंड को समाप्त करने के लिए NCPCR दिशानिर्देशों के अनुसार, प्रत्येक स्कूल को शारीरिक दंड निगरानी सेल का गठन करना होगा।

बच्चों के प्रति शारीरिक दंड से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून :

- बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCRC), 1989: अनुच्छेद 19 में बच्चों को हिंसा से जुड़े किसी भी प्रकार के अनुशासन से बचाने का अधिकार है।

भारत में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग :

- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) भारत में एक प्रमुख संस्था है जो बाल अधिकारों की रक्षा और संवर्धन के लिए समर्पित है।
- इसकी स्थापना मार्च 2007 में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 के अंतर्गत की गई थी।

- भारत में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भारतीय संविधान और संयुक्त राष्ट्र के बाल अधिकारों पर कन्वेंशन के अनुसार बच्चों के अधिकारों का पालन किया जाए।
- भारत में यह आयोग महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन कार्य करता है।



राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रमुख कार्यों में शामिल हैं :

- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से संबंधित शिकायतों की जांच करना है।
- यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 के कार्यान्वयन की निगरानी करना है।
- इसके अलावा, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बच्चों के खिलाफ होने वाले अन्य अपराधों और उनके अधिकारों के हनन के मामलों में भी हस्तक्षेप करता है।
- भारत में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बच्चों के लिए एक सुरक्षित और सहायक वातावरण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न पहलों और अभियानों का संचालन करता है।

समाधान / आगे की राह :



भारत के स्कूलों में बच्चों के लिए शारीरिक दंड और दुर्व्यवहार से बचाव के

लिए कुछ महत्वपूर्ण कानून निम्नलिखित है -

- बाल संरक्षण कानून (Child Protection Laws) : भारत में बच्चों की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए गए हैं। इन कानूनों के तहत सभी बच्चों के अधिकार सुरक्षित होते हैं और उन्हें संरक्षण दिया जाता है।
- बच्चों के खिलाफ हिंसा के खिलाफ जागरूकता : बच्चों के खिलाफ हिंसा, शोषण और दुर्व्यवहार को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। शिक्षकों, माता-पिता, और समाज के अन्य सदस्यों को बच्चों के अधिकारों की प्रमाणित जानकारी और उनके सुरक्षा के बारे में जागरूक करने की जरूरत है।
- बच्चों के शिक्षकों के लिए जागरूकता : शिक्षकों को बच्चों के साथ व्यवहार करते समय उनके अधिकारों की प्रमाणित जानकारी होनी चाहिए। उन्हें शारीरिक दंड के बारे में भी जागरूक किया जाना चाहिए ताकि वे बच्चों के साथ सही तरीके से व्यवहार करें।
- बच्चों के अधिकार की जांच : राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, शारीरिक दंड को किसी भी कार्रवाई के रूप में समझा जाता है जो बच्चे को दर्द, चोट और परेशानी का कारण बनता है, चाहे वह हल्का ही क्यों न हो। इन प्रावधानों के तहत भारत में बच्चों के प्रति शारीरिक दंड के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करते हैं और उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं।
- भारत में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा निर्धारित ये दिशा - निर्देश बच्चों को शारीरिक दंड और दुर्व्यवहार से बचाने के लिए महत्वपूर्ण कदम हैं और उनके संरक्षण के लिए एक सकारात्मक दिशा प्रदान करते हैं।

स्रोत - द हिन्दू एवं इंडियन एक्सप्रेस

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन-सा/से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, 1948 (Universal Declaration of Human Rights, 1948) के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को बताता है ? (UPSC - 2020)

1. भारतीय संविधान की उद्देशिका
2. राज्य के नीति निदेशक तत्व
3. भारतीय संविधान में निहित मूल कर्तव्य

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें

- A. केवल 1 और 3
- B. केवल 2 और 3
- C. केवल 1 और 2
- D. केवल 2, 1 और 3

उत्तर - D

Q. 2. निम्नलिखित अधिकारों पर विचार कीजिए : (UPSC - 2019)

1. भारत के प्रत्येक नागरिकों का सार्वजनिक सेवा तक समान पहुँच का अधिकार।
2. सभी नागरिकों को शिक्षा का अधिकार।
3. भारत में सभी को भोजन का अधिकार।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से «मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा» के अंतर्गत मानवाधिकार है/हैं?

- A. केवल 1 और 2
- B. केवल 2 और 3
- C. केवल 2 और 3
- D. केवल 2, 1 और 3

उत्तर - D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में मानवाधिकार आयोग की संरचनात्मक सीमाएँ क्या हैं और भारत में बच्चों के प्रति शारीरिक दंड और दुर्व्यवहार से बचाव से संबंधित संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों का उल्लेख करते हुए शारीरिक दंड के मुद्दे पर तर्कसंगत चर्चा करें। (UPSC - 2019 शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

भारत में एलपीजी के मूल्य में वृद्धि का सामाजिक - पारिस्थितिक प्रभाव

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र - 2 के ' भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था और सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप, गरीबी और भूख से संबंधित मुद्देप्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी ' और सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र - 3 के ' भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, पर्यावरण प्रदूषण, नवीकरणीय ऊर्जा, काष्ठ ईंधन पर निर्भरता के सामाजिक-आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव ' खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' प्रधानमंत्री उज्वला योजना (PMUY), तरलीकृत पेट्रोलियम गैस, बायोगैस, नवीकरणीय ऊर्जा, PAHAL योजना, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना ' खंड से संबंधित है। इसमें PLUTUS IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' भारत में एलपीजी के मूल्य में वृद्धि का सामाजिक - पारिस्थितिक प्रभाव ' से संबंधित है।)


खबरों में क्यों ?

- हाल ही में भारत में ऊर्जा के स्वच्छ और सस्ते स्रोतों के संबंध में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार LPG की कीमतों में वृद्धि ने भारत में सामाजिक-पारिस्थितिक प्रभावों को उजागर किया है।
- एक अध्ययन के अनुसार, पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में कई परिवार अभी भी लकड़ी जैसे पारंपरिक ईंधन पर निर्भर हैं, जिससे भारत में पर्यावरणीय चुनौतियाँ और सतत् विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं।

- इस सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार इस स्थिति ने भारत में सस्ते और सुलभ ईंधन विकल्पों की आवश्यकता को भी रेखांकित किया है। भले ही सरकार ने LPG के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हों।
- भारत में LPG की कीमतों में वृद्धि के कारण, जलपाईगुड़ी के लगभग आधे दुकानदार वाणिज्यिक सिलेंडर की उच्च लागत, ₹1,900, के कारण लकड़ी का उपयोग कर रहे हैं।
- इस क्षेत्र की लगभग %38.5 आबादी गरीबी रेखा के नीचे है और अधिकांश लोग चाय बागानों में दैनिक मजदूरी, ₹250, पर काम करते हैं। ऐसी स्थिति में, लकड़ी का उपयोग खाना पकाने के ईंधन के रूप में जारी रखना अप्रत्याशित नहीं है। इससे न केवल वनों का क्षरण होता है, बल्कि लोगों को जंगली जानवरों के साथ खतरनाक मुठभेड़ों का जोखिम भी उठाना पड़ता है।



भारत में एलपीजी के मूल्य में वृद्धि का सामाजिक - पारिस्थितिक प्रभावों के अध्ययन के महत्वपूर्ण आयाम :



भारत में एलपीजी के मूल्य में वृद्धि का सामाजिक-पारिस्थितिक प्रभावों का अध्ययन निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर केंद्रित है -

- वनों पर निर्भरता : जलपाईगुड़ी के स्थानीय समुदायों की खाना पकाने के लिए वैकल्पिक ईंधन की सीमित पहुंच के कारण वनों पर अत्यधिक निर्भरता है।

- आर्थिक बाधाएं : 1500 रुपए से अधिक मूल्य के LPG सिलेंडर अनेक परिवारों के लिए, विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए, अव्यवहार्य हैं।
- सरकारी पहलें : प्रधानमंत्री उज्वला योजना जैसी सरकारी योजनाओं ने LPG के प्रयोग को बढ़ावा दिया, परंतु बाद में कीमतों में वृद्धि ने इसे चुनौतीपूर्ण बना दिया।
- पहुंच और वितरण की समस्याएं : ग्रामीण क्षेत्रों में LPG की पहुंच और वितरण में सुधार के बावजूद, उच्च कीमतों के कारण कई परिवार नियमित रूप से सिलेंडर रिफिल नहीं करा पाते।
- पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभाव : काष्ठ ईंधन की निर्भरता से वनों का क्षरण और मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ता है, जिससे वन पारिस्थितिकी, वन्यजीव आवास और स्थानीय आजीविका प्रभावित होती है।
- संधारणीय विकल्प : पश्चिम बंगाल वन विभाग और संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के सहयोग से सतत् वन प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने की पहलें।
- स्थानीय रूप से स्वीकार्य समाधान : वनों, वन्यजीवन और आजीविका की सुरक्षा के लिए स्थानीय रूप से स्वीकार्य और स्थायी विकल्पों का विकास।
- सामुदायिक भागीदारी : खाना पकाने के लिए वैकल्पिक ईंधन और वन संरक्षण प्रयासों की सफलता के लिए सामुदायिक भागीदारी और हितधारकों के साथ जुड़ाव आवश्यक है।

भारत सरकार द्वारा LPG के प्रयोग में वृद्धि के प्रयास :



भारत सरकार ने ग्रामीण परिवारों में LPG के उपयोग को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं -

- राजीव गांधी ग्रामीण LPG वितरक योजना (2009) : इस योजना के तहत, दूरदराज के क्षेत्रों में LPG वितरण को बढ़ावा दिया गया।
- 'पहल' योजना (2015) : भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 में शुरू की गई, इस योजना के तहत LPG सब्सिडी का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण किया गया।

- सीधे होम-रिफिल डिलीवरी और 'गिव इट अप' कार्यक्रम (2016) : भारत सरकार द्वारा वर्ष 2016 में इस योजना को लागू किया गया था। इस योजना के तहत इसने उपभोक्ताओं को अपनी सब्सिडी छोड़ने और उसे जरूरतमंद गरीब परिवारों को LPG कनेक्शन प्रदान करने का विकल्प दिया है।
- प्रधानमंत्री उज्वला योजना (PMUY) (2016) : वर्ष 2016 में शुरू की गई, इस योजना के तहत, गरीबी रेखा से नीचे के 80 मिलियन परिवारों को LPG कनेक्शन प्रदान किए गए।
- सब्सिडी में वृद्धि (2023) : भारत में प्रधानमंत्री उज्वला योजना के तहत शुरू की गई इस योजना में प्रत्येक 14.2 किलोग्राम सिलेंडर के लिए 200 रुपए की सब्सिडी प्रदान की गई, जो अक्टूबर 2023 में बढ़कर 300 रुपए हो गई।

LPG कीमतों का सामाजिक प्रभाव :

- कीमतों में वृद्धि : वर्ष 2022 में, भारत में LPG की कीमतें लगभग ₹300/लीटर थीं, जो 54 देशों में सबसे अधिक थी।
- विश्व स्तर पर कीमतें : LPG, पेट्रोल, और डीजल की कीमतें विश्व में सर्वाधिक हैं, जिसमें बाह्य कारक और वैश्विक स्तर पर ऊँची कीमतें शामिल हैं।
- क्रय शक्ति समता (PPP) : भारत, PPP डॉलर का उपयोग करते हुए, पेट्रोल की कीमतों के मामले में सूडान और लाओस के बाद तीसरे स्थान पर है।
- **ACCESS सर्वेक्षण (2015-2014)** : ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद द्वारा आयोजित 2015-2014 ACCESS सर्वेक्षण के डेटा के अनुसार, LPG की लागत ग्रामीण गरीब परिवारों में इसे अपनाने और इसके निरंतर उपयोग में सबसे बड़ी बाधा है।

वैकल्पिक ईंधन का उपयोग :

- ग्रामीण ईंधन उपयोग : वर्तमान समय में भी लगभग 750 मिलियन भारतीय खाना पकाने के लिए लकड़ी, गोबर, कृषि अवशेष, कोयला, और लकड़ी का कोयला जैसे ईंधन का उपयोग करते हैं।
- स्वास्थ्य और पर्यावरणीय प्रभाव : इस प्रकार के ईंधन स्वास्थ्य खतरों और सामाजिक-आर्थिक तथा पर्यावरणीय प्रभावों से जुड़े हैं।
- हालांकि, इन प्रयासों के बावजूद, भारत में LPG, पेट्रोल और डीजल की कीमतें विश्व में सर्वाधिक हैं, जिसके महंगे होने में बाह्य कारक और वैश्विक स्तर पर ऊँची कीमतें शामिल हैं। क्रय शक्ति समता (PPP) डॉलर का उपयोग करते हुए, भारत पेट्रोल की कीमतों के मामले में वैश्विक स्तर पर सूडान और लाओस के बाद तीसरे स्थान पर है।
- इस प्रकार, 750 मिलियन भारतीय हर दिन खाना पकाने के लिए ईंधन (लकड़ी, गोबर, कृषि अवशेष, कोयला और लकड़ी का कोयला) का उपयोग करते हैं, जो कई स्वास्थ्य खतरों और सामाजिक-आर्थिक तथा पर्यावरणीय प्रभावों से जुड़े हैं।

भारत में LPG की ऊँची कीमतों के प्रमुख कारक :



भारत में LPG की ऊँची कीमतों के पीछे कई कारक हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं -

- आयात पर निर्भरता : भारत LPG के लिए आयात पर बहुत अधिक निर्भर है, जिसकी %60 से अधिक जरूरतें आयात से पूरी होती हैं। इस आयात निर्भरता का देश में LPG की मूल्य निर्धारण गतिशीलता पर गहरा प्रभाव पड़ता है।
- मूल्य निर्धारण : भारत में LPG की कीमतें मुख्य रूप से प्रोपेन और ब्यूटेन के औसत सऊदी अनुबंध मूल्य (CP) से प्रभावित होती हैं। LPG गैसों का मिश्रण है जिसमें ब्यूटेन और प्रोपेन मुख्य होते हैं, और इसमें ब्यूटेन का प्रतिशत सीमित होता है। CP, LPG व्यापार के लिए सऊदी अरामको (Aramco) द्वारा निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय मूल्य है।
- मूल्य वृद्धि : औसत सऊदी CP वित्त वर्ष 20 में USD 454 प्रति टन से बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में USD 710 हो गया, जिससे LPG की कीमतों में वृद्धि हुई। विश्लेषकों का मानना है कि इस वृद्धि का कारण एशियाई बाजारों, विशेषकर पेट्रोकेमिकल उद्योग में, जहाँ प्रोपेन एक महत्वपूर्ण फीडस्टॉक के रूप में कार्य करता है, की बढ़ती मांग है।
- आयात गतिकी : अप्रैल-सितंबर 2022 में भारत की कुल खपत 13.8 मिलियन टन में से 8.7 मिलियन टन LPG का आयात किया गया, जो आयातित LPG पर भारत की निर्भरता को दर्शाता है।
- उपभोक्ताओं पर प्रभाव : मार्च 2023 में प्रति सिलेंडर 50 रुपए की हालिया बढ़ोतरी से दिल्ली में 14.2 किलोग्राम भार वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में %4.75 की वृद्धि हुई। करों और डीलर कमीशन का सिलेंडर की खुदरा कीमत में केवल %11 ही योगदान होता है, जिसमें लगभग %90 LPG की लागत के लिए जिम्मेदार होता है, और इसका मुख्य कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतें न होकर, करों में बढ़ोतरी है।

समाधान / आगे की राह :

- नवीकरणीय ऊर्जा का प्रसार : सौर, पवन, और जलविद्युत जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को अपनाने से काष्ठ ईंधन की आवश्यकता में कमी लाई जा सकती है। इसके लिए विभिन्न देशों ने फीड-इन टैरिफ,

कर छूट, और सब्सिडी जैसी नीतियों के माध्यम से प्रोत्साहन दिया है।

- उन्नत चूल्हे का वितरण : पारंपरिक चूल्हों की तुलना में, उन्नत चूल्हे (Improved Cook Stoves - ICS) अधिक कुशलतापूर्वक काष्ठ ईंधन जलाते हैं, जिससे इसकी खपत में कमी आती है। नेपाल में किए गए प्रयोगों से पता चला है कि ICS के उपयोग से काष्ठ ईंधन की जरूरत में %50 तक की कमी हो सकती है।
- ग्लोबल अलायंस फॉर क्लीन कुकस्टोव्स की पहल : इस संगठन ने विकासशील देशों में 80 मिलियन से अधिक उन्नत चूल्हे वितरित करके काष्ठ ईंधन पर निर्भरता कम करने में मदद की है।
- वैकल्पिक ईंधन का उपयोग : कृषि अपशिष्ट से निर्मित बायोगैस, पेलेट्स, और ब्रिकेट्स जैसे वैकल्पिक ईंधनों का उपयोग बढ़ाने से काष्ठ ईंधन की मांग में कमी आ सकती है। यह सतत् ऊर्जा स्रोतों की ओर एक कदम हो सकता है।
- सतत् वन प्रबंधन : सतत् वन प्रबंधन की प्रथाओं को अपनाने से काष्ठ ईंधन की निकासी और वनों के पुनर्जनन के बीच संतुलन स्थापित किया जा सकता है, जिससे पर्यावरण पर काष्ठ ईंधन की खपत के प्रभाव को कम किया जा सकता है।



स्रोत: द हिंदू एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.11. भारत की जैव-ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार, जैव-ईंधन के उत्पादन के लिये निम्नलिखित में से किनका उपयोग कच्चे माल के रूप में हो सकता है? (UPSC - 2020)

1. कसावा
2. क्षतिग्रस्त गेहूँ के दाने
3. मूँगफली के बीज
4. कुलथी (Horse Gram)
5. सड़ा आलू
6. चुकंदर

उपरोक्त में से कौन सा विकल्प सही उत्तर है ?

- A. केवल 4 ,3 ,1 और 6

- B. केवल 4 ,3 ,2 और 5

- C. 1, 2, 3, 4, 5 और 6 सभी।

- D. केवल 5 ,2 ,1 और 6

उत्तर - D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. “वहनीय (एफोर्डेबल), विश्वसनीय, धारणीय तथा आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच संधारणीय (सस्टेनेबल) विकास लक्ष्यों (एस.डी.जी.) को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य हैं।” भारत में इस संबंध में हुई प्रगति पर टिप्पणी कीजिए। (UPSC CSE - 2018)

Q.2. भारत में एलपीजी के मूल्य में बढ़ोतरी का सामाजिक-पारिस्थितिक प्रभावों के प्रमुख कारकों को रेखांकित करते हुए भारत में LPG की कीमतों के बढ़ने के प्रमुख कारकों, चुनौतियों और उसके समाधान की विस्तृत एवं तर्कसंगत चर्चा कीजिए। (शब्द सीमा - 250 अंक - 15)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा बनाम भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र - 2 के ‘ भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था, स्वास्थ्य, भारत में स्वास्थ्य निधि में हुई वृद्धि के प्रभावी उपयोग से संबंधित चुनौतियाँ ’ खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ‘ राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (NHP), राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत PMJAY ’ खंड से संबंधित है। इसमें PLUTUS IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ‘ दैनिक करंट अफेयर्स ’ के अंतर्गत ‘ राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा बनाम भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि ’ से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA) द्वारा हाल ही में जारी आँकड़ों के अनुसार, भारत में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के अनुपात में सरकारी स्वास्थ्य व्यय (GHE) में 15-2014 से 22-2021 के बीच %63 की बढ़ोतरी हुई है।
- इस वृद्धि का मुख्य कारण सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ते निवेश और आयुष्मान भारत जैसी बीमा योजनाओं में हुई वृद्धि के विस्तार से जुड़ी हुई है।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा के इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (OOPE) में भी कमी आई है, जो व्यक्तियों द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं पर सीधे किए गए खर्च को दर्शाता है।
- सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं में होने वाली यह वृद्धि भारत के नीति निर्माताओं को देश के स्वास्थ्य वित्तपोषण संकेतकों में प्रगति की निगरानी करने में सक्षम बनाती है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA) का परिचय एवं इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र

(NHSRC) द्वारा तैयार किए जाते हैं। जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार विकसित किया गया है।

- इसकी स्थापना वर्ष 07-2006 में भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) के तहत की गई थी।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तुलनीय हैं, बल्कि ये नीति निर्माताओं को देश के स्वास्थ्य वित्तपोषण संकेतकों में प्रगति की निगरानी में भी सहायता करते हैं।
- इसका मुख्य उद्देश्य राज्यों को तकनीकी सहायता प्रदान करना और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के लिए नीति और रणनीति विकास में सहायता करना है।
- भारत में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में इस प्रकार की वृद्धि का अर्थ यह है कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में अधिक निवेश कर रही है, जिससे आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ मिल सकती हैं।
- यह भारत में स्वास्थ्य नीति और निवेश में नई तकनीकों, बेहतर अस्पतालों, और अधिक प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों के रूप में हो सकता है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और जन सामान्य तक आसानी से पहुँच में सुधार हो सकता है।
- इसके अलावा, यह वृद्धि भारत में स्वास्थ्य नीति और निवेश निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण है।



राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (National Health Accounts- NHA) डेटा के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ?



- राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा (NHA) डेटा के अनुसार, भारत में स्वास्थ्य सेवा में सरकारी निवेश में वृद्धि हुई है। 15-2014 से 22-2021 के बीच, सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के प्रतिशत के रूप में सरकारी स्वास्थ्य

व्यय (GHE) %1.13 से बढ़कर %1.84 हो गया है। इसी अवधि में, प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय लगभग तीन गुना बढ़ा है।

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (NHP) का उद्देश्य सभी के लिए सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करना है, जिसमें 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को GDP का %2.5 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।
- सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं, जैसे कि आयुष्मान भारत PMJAY, में निवेश में तेजी से वृद्धि हुई है, जिसमें 14-2013 से 4.4 गुना वृद्धि हुई है। स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा खर्च की हिस्सेदारी में भी वृद्धि हुई है।
- आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (OOPE) में कमी आई है, जो 15-2014 से 22-2021 के बीच %62.6 से घटकर %39.4 हो गई है। इस कमी में योगदान देने वाले कारकों में आयुष्मान भारत PMJAY जैसी योजनाएं, सरकारी सुविधाओं का बढ़ता उपयोग, निशुल्क एम्बुलेंस सेवाएं, और आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (AAM) पर निशुल्क दवाइयों और निदान की उपलब्धता शामिल हैं।
- जन औषधि केंद्रों द्वारा किफायती जेनेरिक औषधियों और सर्जिकल आइटमों की पेशकश से नागरिकों को अनुमानित 28,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है, और स्टेंट और कैंसर की दवाओं के मूल्य विनियमन से बचत में और अधिक वृद्धि हुई है।
- स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों को सशक्त बनाने और स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना में निवेश के माध्यम से, सरकार ने जलापूर्ति और स्वच्छता में निवेश किया है, और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना तथा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के माध्यम से चिकित्सा अवसंरचना को मजबूती प्रदान की है। स्थानीय निकायों के लिए स्वास्थ्य अनुदान में वृद्धि से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली सशक्त हुई है।
- इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों को सशक्त बनाने के प्रयासों में भी वृद्धि हुई है। यह सभी प्रयास भारत में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और पहुँच को बेहतर बनाने की दिशा में किए गए हैं।

आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय क्या होता है ?

- आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय (OOPE) वह खर्च होता है जो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बिना किसी बीमा, सरकारी सहायता, या अन्य प्रकार की वित्तीय मदद के व्यक्तियों द्वारा सीधे अदा किया जाता है।
- यह आमतौर पर डॉक्टर की फीस, दवाइयां, और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निजी भुगतान को दर्शाता है।
- जब व्यक्ति या परिवार अगर बड़ी स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता में हों तो इस प्रकार का खर्च व्यक्तियों और परिवारों पर और अधिक वित्तीय बोझ डाल सकता है।

भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की मुख्य चुनौतियाँ :

भारत में स्वास्थ्य सेवा निधियों के बढ़ती के बावजूद, उनके प्रभावी उपयोग में कई चुनौतियाँ हैं। जो निम्नलिखित हैं -


- स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच में असमानता : ग्रामीण इलाकों में लोगों को लंबी दूरी तय करके स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँचना पड़ता है, और विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के कारण उन्हें समय पर उपचार नहीं मिल पाता है। नीति आयोग की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में डॉक्टर-रोगी अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में काफी बेहतर है (1:400 बनाम 1:1100), जिससे ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित होती है।
- गैर - संचारी बीमारियों (NCDs) की बढ़ती दर : राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोफाइल 2022 के अनुसार, मधुमेह और हृदय रोग जैसी NCDs की दर में वृद्धि हुई है, जिनका इलाज महंगा होता है। इससे स्वास्थ्य सेवा निधियों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है।
- निधियों का दुरुपयोग और अक्षमताएँ : भारत में प्रशासनिक और नौकरशाही की अक्षमताएँ, कुप्रबंधन और प्रशासनिक स्तर पर होने वाले भ्रष्टाचार से स्वास्थ्य निधियों का दुरुपयोग होता है, जिससे वे इच्छित लाभार्थियों तक नहीं पहुँच पाते हैं। CAG की 2018 की रिपोर्ट में भी सरकारी अस्पतालों में बढ़े हुए बिलों और अनावश्यक प्रक्रियाओं की पहचान की गई है।
- मानव संसाधन की कमी और उनसे जुड़ी बाधाएँ : डॉक्टरों, नर्सों, और अन्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की कमी से अधिक काम का बोझ, देखभाल की गुणवत्ता में कमी, और लंबी प्रतीक्षा समय की समस्या उत्पन्न होती है। WHO की अनुशंसा के अनुसार डॉक्टर-नर्स अनुपात 4:1 होना चाहिए, जबकि भारत में यह 1:1 है। सरकारी अस्पतालों में चिकित्सक-रोगी अनुपात भी WHO की अनुशंसा 1:1000 की तुलना में काफी अधिक है।



समाधान या आगे की राह :

- भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल के विकास के लिए, योग्य चिकित्सकों को आकर्षित करने हेतु उच्च वेतन, उन्नत आवासीय सुविधाएँ, और उनके करियर विकास के अवसर प्रदान करने वाले प्रोत्साहन कार्यक्रमों के साथ-साथ, सस्ते अस्पतालों और क्लिनिकों के निर्माण के माध्यम से स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश करना आवश्यक है।

- रोगी देखभाल के लिए आवंटित धन का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, कठोर निगरानी प्रणाली और सख्त नियमों की स्थापना जरूरी है।
- जिन अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मचारियों की संख्या कम है, वहाँ सरकारी चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने और रोगी-केंद्रित सुविधाओं में सुधार से रोगी की उचित देखभाल सुनिश्चित हो सकती है और उपचार के लिए प्रतीक्षा करने वाले समय में कमी किया जा सकता है।
- स्वस्थ जीवन शैली को प्रोत्साहित करने और रोग का शीघ्र पता लगाने वाले सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियानों में निवेश करने से, भविष्य में स्वास्थ्य देखभाल लागत में कमी आ सकती है।
- जनता को स्वस्थ खान-पान की आदतों और नियमित जाँच के महत्व के बारे में शिक्षित करने पर खर्च बढ़ाने से, महंगे इलाज वाली पुरानी बीमारियों के प्रसार में कमी आ सकती है।



सरकार द्वारा हालिया सरकारी पहलों में निम्नलिखित योजनाएं शामिल हैं -



- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) : यह भारत सरकार की एक पहल है जो स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने और सुधारने के लिए काम करती है।
- आयुष्मान भारत : यह एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन है जो निम्न आय वर्ग के परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है।
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) : यह आयुष्मान भारत का हिस्सा है और यह गरीब और वंचित परिवारों को मुफ्त अस्पताल

में उपचार प्रदान करता है।

- राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग : यह चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण को नियंत्रित करने और सुधारने के लिए एक नियामक संस्था है।
- पीएम राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम : यह कार्यक्रम गुर्दे की बीमारी से पीड़ित रोगियों को मुफ्त डायलिसिस सुविधा प्रदान करता है।
- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK) : यह प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद की देखभाल के लिए मुफ्त सेवाएं प्रदान करता है।
- राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK) : यह कार्यक्रम बच्चों में जन्मजात विकारों, विकास संबंधी देरी, विकलांगता, बीमारियों और दोषों की जल्द पहचान और उपचार के लिए है।

निष्कर्ष : भारत में स्वास्थ्य देखभाल व्यय में वृद्धि हो रही है और सरकारी कार्यक्रमों जैसे आयुष्मान भारत के माध्यम से नागरिकों का स्वास्थ्य व्यय कम हो रहा है। हालांकि, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी, दुर्गमता और स्वास्थ्य कर्मियों की पहुंच की कमी जैसी चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। इन क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल की समान पहुंच सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य देखभाल पर ध्यान देना एक मजबूत और समान स्वास्थ्य प्रणाली के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

स्रोत- द हिन्दू, इंडियन एक्सप्रेस एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. 1. भारत में आयुष्मान भारत योजना के मुख्य उद्देश्यों में शामिल है ?
(UPSC - 2019)

1. आयुष्मान भारत एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन है जो भारत में निम्न आय वर्ग के परिवारों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है।
2. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का ही एक हिस्सा है जो भारत में गरीब और वंचित परिवारों को मुफ्त अस्पताल में उपचार प्रदान करता है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

- A. केवल 1
- B. केवल 2
- C. कथन 1 और 2 दोनों
- D. न तो कथन 1 और न ही कथन 2

उत्तर - C

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. “ एक कल्याणकारी राज्य के रूप में प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र में अवसंरचनात्मक विकास करना राज्य का प्रथम कर्तव्य है।” इस कथन के आलोक में भारत में स्वास्थ्य क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियों और उसके समाधान के उपायों पर तर्कसंगत चर्चा कीजिए। (UPSC -CSE - 2021 शब्द सीमा - 250 अंक - 15)